न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– विनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 108/2025 दायर दिनांक 02.07.2025

उनवान

1– श्यामलाल पुत्र रामसिंह जाति माली नि. कड़ोदिया तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

1– घनश्याम पिता श्री सामतराम जाति कुल्मी नि. कड़ोदिया तहसील रायपुर

2– बंशीलाल पुत्र श्री सामतराम जाति कुल्मी नि. कड़ोदिया तहसील रायपुर

3– बापुलाल पुत्र श्री सामतराम जाति कुल्मी नि. कड़ोदिया तहसील रायपुर

4– लीलाबाई पत्नी स्व० मोहनलाल जाति महाजन नि. कड़ोदिया तहसील रायपुर

5– संजयकुमार पुत्र मोहनलाल जाति महाजन नि. कड़ोदिया तहसील रायपुर

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर०टी०एक्ट०

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री ईश्वरसिंह

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 – श्री सुभाष दांगी

अप्रार्थी सं. 4 व 5 – एकतरफा

अप्रार्थी सं. 6 – पैरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 06.03.2026

पत्रावली पेश हुई। [illegible] से है कि ग्राम कड़ोदिया पटवार हल्का [illegible] रायपुर की आराजी खाता संख्या 67[illegible] है। आर[illegible] स्थित है। जो प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की [illegible]राजी है। नकल जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सम्वत 2074–77 संलग्न है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 422 पर आने–जाने का रास्ता खसरा नं. 396 पर बने रास्ते से होकर अप्रार्थी नं. 1 लगायत 3 के खसरा नं. 397 में इसकी उत्तरी मेड़ के समान्तर होकर अप्रार्थी नं. 4 व 5 के खसरा नं. 420 की दक्षिण मेड़ से होते हुए है। प्रार्थी इसी रास्ते पर होकर निकलते रहे है। परन्तु अप्रार्थी नं. 1 लगायत 3 ने अब निकलने से मना कर दिया है और उन्होने रास्ता बंद कर दिया है। जिसे नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित किया गया है। खसरा नं. 397 में जहां से रास्ता निकलता है जिसे नजरी नक्शे में ए से बी दर्शाया गया है उस स्थान पर आज भी भूमि पड़त है जिसका उपयोग रास्ते के रूप में किया जाता रहा है। यह रास्ता खसरा नं. 396 गै०मु० रास्ता से खसरा नं. 422 तक पंहुचने का सबसे लघुत्तम रास्ता है। यह कि प्रार्थी की आराजी पर आने–जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के संबंध में प्रार्थी की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है (The neccesity is absolute neccesity and is not for mere covenien enjoyment of holding) अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा रास्ता रोकने से भी प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने–जाने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थी को अपनी आराजियात पर आने–जाने के लिए 12 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिसको प्रार्थी द्वारा अपने ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने ले जाने में उपयोग में लाया जा सके। यह कि प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रुप में मुआवजे के बदले नियमानुसार निर्धारीत राशि भुगतान करने के लिए तत्पर है। यह कि प्रार्थी ने उक्त संबंध में श्रीमान तहसीलदार साहब पिड़ावा के यहां रास्ता खुलासा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था तो उन्होंने माननीय न्यायालय में [illegible] इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। [illegible] पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणा–क्षेत्राधिकार में [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खाते की आराजी ग्राम कड़ोदिया पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कड़ोदिया भू०अभि०नि० क्षेत्र दुबलिया तह० रामपुर की आराजी खाता संख्या 675 की खसरा नं. 422 रकबा 1.1635 है० पर आने–जाने का रास्ता 12 फीट चौड़ाई का ग्राम कड़ोदिया पटवार हल्का कड़ोदिया की आराजी खसरा नं. 397 में से होकर खसरा नं. 420 की दक्षिण मेड़ पर होकर स्वीकृत किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि पेरा न. 1 के तथ्य राजस्व रेकार्ड से सम्बधित है प्रार्थी साबित करें। यह कि पेरा न. 2 के तथ्य गलत, भ्रामक व झूठे दर्ज होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी 1 लगायत 3 के खाते की भूमि खसरा न. 397 के उत्तरी मेड पर कभी भी प्रार्थी का रास्ता नहीं रहा है अप्रार्थी 1, 2, 3 के खसरा न. 397 की मेड पर अप्रार्थीगण का पक्का कुआ खुदा हुआ है जहा से रास्ता दिलाया जाना सम्भव नहीं है क्योकि उक्त खसरा न आगे जाकर खसरा न. 400 तक जाता है जबकि प्रार्थी का खेत खसरा न. 400 के पास नहीं है खसरा न. 422 का पुराना वैकल्पिक रास्ता पुर्व दिशा मे सालो पुराना है तथा खसरा न. 422 के ही सब नम्बर 2005/422 व 2010/422 का भी रास्ता गै. मु रास्ता खसरा न होकर आते जाते है। प्रार्थी उसके पिता दादा आज तक अप्रार्थी 1, 2, 3 की भूमि से होकर कभी भी नहीं निकले है उनका वैकल्पिक पुराना रास्ता मौजुद है जो गै मु रास्ता खसरा न. 439 से होकर खसरा न. 434, 431, 430 की पूर्वी मेड पर होकर मौजुद है जो खसरा न 1927/527 व 2050/527 के खातेदार भी उसी पुराने रास्ते से आते जाते है और पुराना रास्ता मौजुद है इस कारण प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है। तथाकथित तालस्माही मे अंकित स्थान पर कोई रास्ता कभी भी मौजुद नहीं रहा है और ना ही अभी है। प्रार्थी अत्यावश्यक आवश्यकता के प्रावधान का दुरुपयोग कर अप्रार्थी 1, 2, 3 के खेत खसरा न. 397 के दो टुक[illegible] रास्ता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। यह [illegible] प्रार्थना पत्र के [illegible] न. 3 के तथ्य कतई भ्रामक व झूठे दर्ज होने से [illegible] प्रार्थी व पड़ोसी सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार का वैकल्पिक पुराना रास्ता मोजुद होने से सभी तथ्य अस्वीकार है। यह कि पेरा न 4 के समस्त तथ्य गलत व मिथ्या दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के खसरा नं० 422 पर पहुंचने का पुराना वेकल्पिक रास्ता दक्षिण दिशा मे खसरा न. 430 व 1927/527 के मध्य होकर मौजूद है जिससे होकर ही प्रार्थी व उसके पहले उसके पिता उसी रास्ते से होकर आते जाते रहे है प्रार्थी को कोई अत्यन्त आवश्यकता नहीं है केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ते के कानून का दुरपयोग कर अप्रार्थी 1, 2, 3 की खातेदारी भूमि को नुकसान करने खुर्द-बुर्द करने अपूर्णीय क्षति कारीत करने की गरज से बनावटी भ्रामक, झुठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है। यह की उक्त पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है। वेकल्पिक पुराना रास्ता मोजुद होने से प्रार्थी कोई सहायता पाने का पात्र नहीं है। यह की भूमि का बाजार मुल्य प्रतिकर से कई गुना अधिक होने से कोई भी सीधा सुविधाजनक रास्ते के लिए प्रतिकर देने को तेयार हो रहे है अप्रार्थी 1, 2, 3 को प्रतिकर स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को सीधा सुविधाजनक रास्ता देने के लिए अप्रार्थी 1, 2, 3 की खातेदारी भूमि खेत खसरा न. 397 के कानन्न टुकडे कर बीच मे रास्ता नहीं दिया जा सकता है। जिस कारण भी प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर होने से प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। यह की उक्त पेरे में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार साहब को रास्ता खुलासा का प्रार्थना पत्र भी पुराने वैकल्पिक रास्ते को खुलाने का ही दिया था अप्रार्थी 1, 2, 3 की ओर कोई पुराना रास्ता मोजुद नहीं होने से इसका कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। यह की पुराना वैकल्पिक रास्ता मोजुद होने पर अत्यन्त आवश्यकता के प्रावधान का दुरुपयोग करने के लिए प्रार्थी को कोई झूठा प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार नहीं है चाही गई सहायता गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी वेकल्पिक रास्ते को छोडकर सुविधा के लिए नया रास्ता अप्रार्थी 1, 2, 3 की खातेदारी भूमि के बीच होक[illegible] नहीं है। प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज [illegible] प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण के तंग परे[illegible] से वेकल्पिक पुराना रास्ता मौजुद होने पर भी प्रार्थी ने झुं[illegible] प्रार्थना पत्र केवल अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सुविधा के लिए सीधा नया रास्ता हेतु भ्रामक तथ्यों पर पेश किया गया है। जो भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह की प्रार्थी के खसरा न. 422 पर पहुंचने का पुराना उसके बाप दादा के समय से वैकल्पिक रास्ता दक्षिण दिशा में खसरा न. 430, 1927/527 के मध्य होकर मौजुद होने से केवल प्रार्थी की सुविधा के लिए नया सीधा रास्ता कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति कारित करने अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो को नुकसान करने की गरज से प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा न. 397 के बीच में होकर नया सीधा रास्ता चाहते है जो कानूनन अवैध होकर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि प्राथी द्वारा खसरा न. 398 व 397 के बीच होकर जिस स्थान पर नया रास्ता चाहते है वहा खसरा न. 397 में अप्रार्थीगण का 30 साल पुराना पक्का कुआ खुदा हुआ है जहा नया रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है। यह की यदि फिर भी माननीय न्यायालय नया रास्ता देना अत्याधिक आवश्यक समझे तो विकल्प मे गे.मु. रास्ता खसरा न. 398 से होकर अप्रार्थीगण के खसरा न. 397 के दक्षिण मेड व 419 के बीच होकर दिया जा सकता है, सरकारी खसरा न. 419 मौके पर समतल भूमि है जिस पर प्रार्थी आसानी से आ जा सकता है। अतः जवाब मय विशेष आपत्तियो को पेश निवेदन है की प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जाकर विशेष हर्जा खर्चा व न्यायोचित सहायता अप्रार्थीगण 1, 2, 3 को दिलाने की कृपा करें।

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/1415 दिनांक 14.11.2025 से मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– भू.अभि. निरिक्षक वृत्त दुबलिया व पटवारी पटवार मण्डल कडोदिया की रिपोर्टानुसार ग्राम कडोदिया के आराजी ख.न. 422 रकबा [illegible] किस्म माल दोयम राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी ख.न. 422 ग्राम कडोदिया की आराजी खाता संख्या 675 खातेदार श्यामलाल पुत्र [illegible] सा. देह खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमान वादीगण द्वारा ग्राम कलोलिया के ख.न. 397 रकबा 1.7326 है. भूमि किस्म बारानी दोयम खाता संख्या 369 प्रतिवादीगण खातेदार घनश्याम पुत्र रामतराम हि 1/3 जाति कुल्मी बंशीलाल पुत्र रामतराम जाति कुल्मी हि 1/3 बापुलाल पुत्र रामतराम हि 1/3 से रास्ता चाहा गया था। परन्तु ख.न. 397 व ख.न. 422 के मध्य (बिच) ख.न. 419 रकबा 0.5050 हैक. गै.मु. नाला है। अब्दुल रहमान प्रकरण के अनुसार गै.मु. नाला में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ख.न.397 में देना उचित नहीं होगा इसलिए अन्य रास्ता ख.न. 423 रकबा 0.4426 हैक. भूमि किस्म माल दोयम खाता संख्या 398 खातेदारान बालाराम पुत्र धीसा जाति भील सा. देह खातेदार ख.न. 423 के उत्तरी मेड 3 गट्ठे यानी 25 फिट लम्बाई व 12 फिट तथा ख.न. 423 के पश्चिमी मेड़ के सहारे 22 गट्ठे यानी 182 फिट लम्बाई व 12 फिट चोडाई यानी ख.न. 423 में कुल 207 फिट लम्बाई व 12 फिट चोडाई यानी कुल 2484 वर्ग फिट यानी क्षेत्रफल 0.0230 हैक. व ख.न. 424 रकबा 0.3667 हैक. भूमि किस्म चीड़ प्रथम खातेदार कुलदीप पाटीदार पुत्र रामबक्श हि 1/3 जाति कुल्मी मुकेश कुमार पुत्र बजरंगलाल हि.1/6 जाति कुल्मी राकेश कुमार पुत्र बजरंगलाल हिस्सा 1/6 जाति कुल्मी हरिशंकर पुत्र धनश्याम हिस्सा 1/3 जाति कुल्मी सा. देह खातेदार उक्त ख. न. 424 के उत्तरी पश्चिम मेड़ के सहारे 16 गट्ठे यानि 132 फिट लम्बाई व 12 फिट चोड़ाई यानि कुल 1584 वर्गफिट कुल क्षेत्रफल 0.0146 हैक. अतः ख. न. 422 के लिए चाहा गया न्युनतम नजदीकी रास्ता ख.न. 423 के उत्तरी मेड के सहारे व पश्चिमी मेड़ के सहारे कुल क्षेत्रफल 0.0230 हैक. व ख.न. 424 के उत्तरी पश्चिमी मेड के सहारे कुल क्षेत्र 0.0146 हैक. से निकलकर मुख्य गै.मु. रास्ता ख.न. 396 रकबा 0.1770 है. तक लगता है अत उक्त रास्ता दर्ज किये जाने योग्य है जो की मुख्य गै.मु. रास्ता 396 के निकट है। 1. प्रार्थी की भूमि ख.न. 422 पहुंच हेतु ... उपलब्ध नहीं है। 2. प्रार्थी की आराजी तक पहुंच ... उपलब्ध नहीं है। 3. प्रार्थी की भूमि आराजी ... उक्त रिपोर्ट में न्युनतम व चाहा गया वैकल्पिक रास्ते का अंकन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला ... (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी की ओर से ग्राम कडोदिया का खाता सं. 675, 399, 687 की जमाबन्दी सं. 2074–77 की नकल, लट्ठा नक्शा छायाप्रति पेश की। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 की ओर से ग्राम कडोदिया का खसरा नक्शा दिनांक 25.07. 2025, लट्ठा नक्शा छायाप्रति, खाता सं. 338, 821, 498, 284, 399 की जमाबन्दी सं. 2074–77 की नकल पेश की। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से पटवारी रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, खाता सं. 675, 398, 812, 399 की जमाबंदी सं. 2074–77 की नकल पेश की।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 422 रकबा1.1635 हेक्ट. तक पहुँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने हिस्से तक पहुँचने के लिए ग्राम कडोदिया के ख.नं. 398 पर बने रास्ते से होता हुआ अप्रार्थी सं. 1 से 3 की आराजी खसरा नं. 397 की उत्तरी मेड के समांतर चलते हुए नाले को पार कर अप्रार्थी 4 व 5 के ख.नं. 420 की दक्षिणी मेड से होकर बने अस्थायी रास्ते का उपयोग करते आए है लेकिन कुछ समय पूर्व अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा ख.नं. 397 में बने प्रार्थी के उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया गया है और निकलने से मना कर दिया जिससे प्रार्थी का खेत पड़त पड़ा हुआ है। स्वयं तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुँच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आगे तर्क किया कि प्रार्थी अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और मजबूरन भूमि पड़त पड़ी हुई है जिससे प्रार्थी के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थी की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक [illegible] किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने [illegible] क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान कर[illegible] मुमकिन नाला से निकलने के लिए प्रार्थी पानी के बहाव [illegible] नहीं करते हुए उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आकार के सीमेन्ट के पाईप लगाने को भी तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 397 की उत्तरी मेड के सहारे होते हुए ख.नं. 420 के दक्षिण मेढ के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

6. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि ख.नं. 422 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 397 की उत्तरी मेड से होकर पहूँच हेतु कोई रास्ता नहीं है। यहा तो अप्रार्थीगण का कुआँ बना हुआ है। ख.नं. 397 व 420 के मध्य गैरमुनकिन नाला ख.नं. 419 स्थित है जो बारिशों में बहता है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो सरकारी रास्ता ख.नं. 439 से होकर 434 की पश्चिम मेड से होकर 2413/431 व 429 की पश्चिम मेड से होता हुआ ख.नं. 430 से होकर ख.नं. 1927/527 की पूर्वी मेड से होता हुआ पहुँचता है जिसे प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज सदा से उपयोग करते आये है । प्रार्थी अपने उक्त सनातनी वैकल्पिक रास्ते से ही आ जा रहा है। प्रार्थी द्वारा इसी रास्ते से होकर वर्तमान में फसल बोई है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को नुकसान पहूचाने हेतु एवं अपनी सुविधा के लिए नवीन रास्ते की मांग कर रहे। अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 397 की उत्तरी मेड से नवीन रास्ता दिये जाने पर खेत के बीच में से खेत के दो टुकडे हो जायेंगे जिससे अप्रार्थीगण को फसल काश्त करना नुकसानदायी होगा। आगे कथन किया कि तहसीलदार रायपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण के खसरा नं. 397 में से होकर रास्ता दिया जाना अनुचित बताया है और ख.नं. 423 व 424 की उत्तरी-पश्चिम मेड से होकर ख.नं. 422 तक न्यूनतम व उचित रास्ता बता[illegible] प्रार्थना पत्र खारीज करमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और कोई प्रचलित वैकल्पित रास्ता भी नही है लेकिन ख.नं. 397 के मध्य से रास्ता देने से प्रार्थी को गैर मुनकिन नाला ख.नं. 419 को पार करना पडेगा। अतः यह रास्ता उचित नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है लेकिन प्रार्थी की भूमि पर आवागमन हेतु सरकारी रास्ता ख.नं. 346 से उत्तर की ओर ख.नं. 424 की उत्तरी–पश्चिम मेड से होकर 423 की उत्तरी–पश्चिम मेड के सहारे प्रार्थी की आराजी तक न्यूनतम रास्ता होगा।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) **रिकार्डेड पहूँच मार्ग** – प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थी की भूमि ख.नं. 422 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर के पेश खसरा नक्शा व नजरी नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 3 का कथन है कि प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु सरकारी रास्ता ख.नं. 439 से होकर 434 की पश्चिम मेड से होकर 2413/431 व 429 की पश्चिम मेड से होता हुआ ख.नं. 430 से होकर ख.नं. 1927/527 की पुर्वी मेड से होता हुआ सनातनी वैकल्पक रास्ता मौजूद है और प्रार्थी वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्रार्थी सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहता है। तहसीलदार रायपुर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अपने जवाब दिनांक 14.11.2025 में पहूँच हेतु ना तो कोई वैकल्पिक रास्ता होना बताया है और ना ही अप्रार्थीगण द्वारा बताये गये वैकल्पिक रास्ते के बारे में कोई अंकन किया गया है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण की भूमि की दक्षिण मेड से रास्ता दिये जाने पर सरोनिया से गुराडिया सडक के सहारे से पूर्व से चले आ रहे बरसाती पानी की निकासी अवरूद्ध होगी जिससे अप्रार्थीगण की फसल खराब होने की संभावना रहेगी। अतः प्रार्थीगण को मुख्य सडक के सहारे बरसाती पानी की निकासी हेतु पाईप लगाकर उचित व्यवस्था करनी होगी।

(iv) लघुतम रास्ता होना:– पत्रावली पर राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक दिनांक 14.11.2025 से स्पष्ट है कि लघुत्तम पहुँच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता ख.नं. 424 व 423 की पश्चिमी व उत्तरी-पश्चिमी मेड के सहारे होते हुए प्रार्थी की भूमि ख.नं. 422 तक होगा। प्रार्थी द्वारा ख.नं. द्वारा 424 व 423 के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है और खातेदारों को पक्षकार बनाकर सुने बिना उनकी भूमि से होकर रास्ता नही दिया जा सकता है। **धारा 251 ए आरटी एक्ट का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त जॉच के बाद 90 दिवस में निर्णित करना होता है और हस्तगत प्रकरण करीब 8 माह से लंबित है। अतः नये खातेदारों को पक्षकारों को पक्षकार बनाने पर प्रकरण और लम्बा हो जायेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकारी रास्ता ख.नं. 396 से होता हुआ अप्रार्थीगण के ख.नं. 397 की दक्षिण मेड से होकर उत्तर की ओर गैर मुनकिन नाले के सहारे होता हुआ ख.नं. 420 की दक्षिण मेड से पहुॅच मार्ग दिया जाना उचित प्रतीत होता है।** यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः-प्रार्थी अपनी आराजी ख.नं. 422 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की **ख.नं. 397 की दक्षिण मेड से होकर उत्तर दिशा की ओर गैर मुनकिन नाले के सहारे होता हुआ ख.नं. 420 की दक्षिण मेडं** से दिये जाने वाले रास्ते की अप्रार्थीगण की भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ख.नं. 397 व 420 से रास्ते में जाने वाले भूमि की डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 14.11.2025 के अनुसार ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की प्रार्थी की भूमि ख.नं. 422 पर पहुॅच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

–::क्रियात्मक आदेश ::–

10. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी. एक्ट, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम कडोदिया तहसील रायपुर की प्रार्थी की भूमि ख.नं. 422 तक पहुँच हेतु सरकारी रास्ते से होकर अप्रार्थी 1 से 3 के ख.नं. 397 की दक्षिण मेड से होकर उत्तर की ओर गैर मुनकिन नाले के सहारे होता हुआ अप्रार्थी सं 4 से 5 के ख.नं. 420 की दक्षिण मेड से **10 फीट चौडा** नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार रायपुर दिये जाने वाले उक्त रास्ते की लम्बाई की जॉच कर उपयोग में आने वाली अप्रार्थीगण की भूमि की नवीनतम डीएलसी दरों से गणना कर तय क्षतिपूर्ति राशि जमा कराये जाने एवं **गैर मुमकिन नाले से पानी के बहाव को यथावत रखने के लिए उचित आकार के पर्याप्त संख्या में सीमेन्ट के पाईप लगाने की प्रार्थी द्वारा व्यवस्था किये जाने पर** नवीन रास्ता दर्ज करें। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसील रायपुर में हाल ही में पूर्ण हुए सेटलमेंट कार्य का नया रिकॉर्ड उपलब्ध होने की स्थिति में आदेश की पालना उक्त साबिक नम्बरो के नये ख.नं. के आधार पर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/03/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:14:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner